




उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

12AA 260853



उत्तराखण्ड विधानसभा निर्वाचन में '67 किच्छा निर्वाचन क्षेत्र' से निर्वाचन हेतु रिटनिंग आफिसर के समक्ष शपथ पत्र जो प्रमाणित व हस्ताक्षरित संलग्नक 01 पृष्ठ, (पृष्ठ 15 का 6) प्रारूप 26 के अनुसार है।

11/67
12/11/2012

केसर लाल

पुत्र स्व० श्री जिया लाल

निवासी गाँधी भवन कालौनी

मकान नं० 11/542, कृषि वि० वि० पंतनगर

तह० किच्छा, जिला उधमसिहनगर

प्ररूप 28
(नियम 4क देखिए)

67 किच्छा निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

67 किच्छा विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. त्रिया लाल आयु 55 वर्ष
जो गोदी भवन कोलोनी नं. 11/542 पन्तनगर का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों)
का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए
गए हैं।

(यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत
करेगा/करेगी)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नहीं
- (II) पुलिस थाना (थाने) मन्तनगर जिला (जिले) कल्याण नगर राज्य उत्तराखण्ड
- (III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
- (IV) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था.....
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....

2. गुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा
(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए
गुप्त है/नहीं किया गया है।

(यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....
- (II) न्यायालय जिसने दंडित किया है.....
- (III) पुलिस थाना (थाने) जिला (जिले) राज्य.....
- (IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.....
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....

स्थान:- किच्छा

तारीख:- 11/1/2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान
और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।
Certified that Sworn & Verified the Contents of this Affidavit by me on this 11/1/2012 को सत्यापित किया।

Sworn & Verified the Contents of this Affidavit by me on this 11/1/2012

11/1/2012